राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक : एफ. 13(8) श्रम/वि./95-II जयपुर, दिनांक 6 मार्च, 2003

यतः राज्य सरकार के अभिमत में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-14) की प्रथम अनुसूची में राज्य में स्पेशल इकोनोमिक जोन स्थित समस्त औद्योगिक इकाइयों को जोड़ा जाना जनहित में समीचीन एवं आवश्यक है।

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-14) की धारा-40 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पूर्व अधिसूचना संख्या एफ.13 (8) श्रम/वि./95-II दिनांक 24.7.98 जिसका प्रकाशन राजस्थान राज पत्र विशेषांक भाग-5 (घ) दिनांक 30.07.98 में हुआ है, को संशोधित करते हुए एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विद्यमान मद संख्या 31 के पश्चात् निम्न मद को जोड़ती हैं :-

32. राज्य में स्पेशल इकोनोमिक जोन स्थित समस्त औद्योगिक इकाइयाँ।

राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(बजरंग लाल)

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं

पदेन उप शासन सचिव